प्रेषक पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

प्रेषित
i) सभी उप पुलिस अधीक्षक जिला पलवल।
ii) सभी प्रबन्धक थानाजात व चौकी प्रभारी,
iii) सभी सी.आइ.ए. जिला पलवल व प्रभारी एन्टी व्हीकल थैफट
iv) प्रभारी सी.पी.टी.एफ. स्टाफ,
v) प्रवाचक पुलिस अधीक्षक, पलवल,
vi) प्रभारी नियन्त्रण कक्ष पलवल,
vii) जिला सेना क्लर्क पलवल।

कमांक 2771-90/SEC दिनांक 1-4-2020 (.) Department of Revenue & Disaster Management's Memo no- ER-DMC –PO-III-2020-SPL-III dt- 31.03.2020 व उपायुक्त महोदय पलवल के पत्र कमांक 7548–65/एम.बी. दिनांक 01.04.2020 के सम्बन्ध में, जैसा कि विदित है कि पूरे विश्व मे कोविड–19/कोरोना वायरस नामक बीमारी के कारण दिनांक 22.03.2020 से भारत सरकार द्वारा भारत की आम जनता को इस खतरनाक वायरस से बचाने के लिए लॉक डाउन कर दिया गया था। किन्तु कुछ व्यक्तियों द्वारा इस लॉक डाउन का पालन ना करने के सम्बन्ध में यह वायरस भारत के कई हिस्सों में अपने पैर पसार चुकार है। जिससे अन्य नागरिकों के जीवन तथा भारत देश की सामाजिक/आर्थिक दशा को काफी खतरा पैदा हो सकता है। जैसे मस्जिदों में बाहर देश–राज्य से आए कई मुस्लिम समुदाय के लोंगों के द्वारा जमात लगाई जा रही हैं तथा कई व्यक्ति रात के समय में पुलिस से बचकर गांवों व कालोनियों–नगरों–कस्बों के अन्दर के रास्ते से अपने गणतव्य तक पहुंचना चाहते है। लेकिन राह में चलते हुए इन व्यक्तियों में से किसी को यह नहीं पता कि इनमे से कौन सा व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। क्योंकि यह एक सकमित/छूआछूत की भंयकर बीमारी/वायरस है।

जिससे इस वायरस के फैलने से भयंकर बीमारी के साथ–साथ कानून एवं शांति व्यवस्था बिगडने का काफी अन्देशा बना हुआ है। जो सुरक्षा एंव कानून व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुये आप सभी को निम्नलिखित हिदायतें दी जाती हैं:–

1. आप सभी थाना प्रबन्धक अपने अधीनस्थ प्रत्येक गांव के सरंपच व पंच के द्वारा तुरंत सम्पर्क करके या मुनादी द्वारा आज दिनांक 01.04.2020 से ही रात्री में ठीकरी पहरा लगवाऐंगे जिससे कि रात्री में कोई भी राहगीर गांव में ना जा सके तथा अपने क्षेत्र के साथ साथ समस्त प्राणी सुरक्षित व स्वस्थ रहें।

2. आपके थाना क्षेत्र में जितनी भी ढाणियां हैं उनमें रहने वाले लोगों को सचेत करेंगे व उन्हें हिदायत देंगे की रात को ढाणियों/बस्तियों/गांवों/शहरों/कालोनियों में रहने वाले पुरूष–महिलाएं अकेले ना बाहर निकले तथा ढाणियों/बस्तियों/गांवों/शहरों/कालोनियों में रह रहे लोग कम से 3–3 फिट की दूरी में रहकर, मुंह पर मास्क/रूमाल लगाकर तथा

Scanned with CamScanner

किसी से हाथ मिलाए बिना तथा एक दूसरे के आपसी सम्पर्क में न आकर रात को ठीकरी पहरा लगावें।

3. आप सभी थाना प्रबन्धक अपने अधीनस्थ राईडर व पी.सी.आर. को निर्देश देंगे कि रात्री में ढाणियों/बस्तियों/गांवों/शहरों/कालोनियों में तथा गांवों के आस-पास लगातार गश्त लगावें।

4. गश्त के समय यदि दो या दो से अधिक नौजवान लड़के/व्यक्ति घूमते हुए मिलते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्यवाही अम्ल में लाएं ताकि अन्य लोंगों को भी लॉक डाउन का उल्लंधन करने से रोका जा सकें।

आप सभी थाना प्रबन्धकों व प्रभारी चौकिंयों को पुनः आदेश दिया जाता है कि आप अपने-2 ईलाका थाना में रात्री गस्त बढायेंगे एंव पी0सी0आर0 व राईडरों को रात्री डियूटि के दौरान सतर्क रहने के लिए निर्देशित करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि कानून एंव शांति व्यवस्था हर हाल में बनी रहे। आदेश की पालना दृढता से की जावे।

पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

I.4. RISH

Scanned with CamScanner